न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी -1931-III/03 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27.09.1996 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक अपील 350/88-89 .

.....

छोटेलाल पुत्र पारसराम ब्राह्मण

निवासी--ग्राम नौगावं टोला धीरसिंह

तहसील गोपदवनास जिला—सीधी

म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन

2. शत्रुराज सिंह पुत्र श्री बालमीक सिंह

निवासी हाल मुकाम तितिरा तहसील --

रामपुर नेकिन जिला सीधी म0प्र0

3.कमलेश्वर सिंह पुत्र रामराजसिंह

निवासी--ग्राम --नौगावं धीरसिंह टोला

त्हसील--गोपदवनास जिला—सीधी

म0प्र0 ..... अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

श्री मती रजनी वशिष्ठ शर्मा पैनल अधिवक्ता

शेष अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय है।

आदेश

(आदेश दिनांक 22/12/16 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 350/88–89 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.9.96 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर सीधी ने उसके समक्ष प्रस्तुत अपील को समयावधित मानते हुए निरस्त किया है, इसलिए अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय के समक्ष केवल यह तथ्य विचारणीय है कि क्या अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए विलम को क्षमा किये जाने का ओचित्यपूर्ण आधार है या नहीं आवेदक के विद्ववान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि इन्होने विवादित भूमि क्रय किया है और उसका कब्जा दखल है वह हितधारी व्यक्ति है और उसके विवादित भूमि पर हित निहत होने के अपील करने का अधिकारी था तथा चूंकि उसे आदेश की जानकारी नहीं रही है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना चाहिए ।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। शासन की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रावधानों से उचित है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अभिलेख का परीक्षण किया गया। अपीलर्थी का यदि विवादित भूमि पर कब्जा दखल एवं स्वत्व रहा है तो उसे प्रारम्भ से ही सक्षम न्यायालय में आपति प्रस्तुत करना चाहिए था। अपीलार्थी द्वारा ऐसी आपत्ति की जाना नहीं पाया जाता। वर्ष 1975 मे सक्षम अधिकारी ने विवादित भूमि का अतिशेष घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध वर्ष 1979 में अपर कलेक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार इस चार वर्ष एवं तर्क संगत आधार अपीलार्थी द्वारा नहीं बतलाया है ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का क्षमा नहीं करने में कोई त्रुटि नहीं की है इस कारण उनका विचाराधीन आदेश उचित होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा उनका आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं पाई गई है।

5–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 350/88–89/अपील में पारित आदेश दिनांक 27.9.96 विधि प्रावधानों से उचित है उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर